न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1370

1. भगवान सहाय पुत्र श्री सुरजाराम जाति माली, निवासी ग्राम गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. जयनारायण पुत्र श्री किशोरी राम, जाति जाट, निवासी ग्राम सिरोही, पटवार हल्का गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्ट

2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
3. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
4. मनोज पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
5. कृपाराम पुत्र सुरजाराम,
6. किशन पुत्र झुंथाराम,
7. डुंगाराम पुत्र झुंथाराम,
8. बहादुर पुत्र झुंथाराम,
9. मंगलचन्द पुत्र झुंथाराम,
10. राधेश्याम पुत्र झुंथाराम,
    समस्त जाति माली, निवासी गांवडी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 29.07.2022 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी जयनारायण बनाम सुरेन्द्र वगैह मुकदमा नंबर 230/2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री गौरव शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री सुमेर सिंह बडसरा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री चेतन प्रकाश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से।
4. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 की ओर से।
5. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 20.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.07.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 08.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बावत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 2.00 है0, बारानी–3 वाके राजस्व ग्राम गणेश्वर, पटवार हल्का गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। हाल अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 प्रार्थी की उक्त

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि के सिंव जोड़ के वे खातेदार काश्तकार है जो प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को नही मानते है व विवाद करते रहते है। उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 को पटवारी हल्का गणेश्वर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक भू.अ./2021/1627–28 दिनांक 28.04.2021 की पालना में मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिये गये कि राजस्व ग्राम गणेश्वर, पटवार हल्का गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 2.00 है0 की प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अन्य पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 पत्थरगढी किये जाने, दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने साथ ही यदि कोई कदीम से प्रचलित रास्ता हो तो उसे तारबन्दी आदि कर बन्द नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवान सहाय पुत्र श्री सुरजाराम ने यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 29.07.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त आदेश एकपक्षीय, गैर कानूनी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी जयनारायण ना कभी खातेदार रहा ना ही कभी उक्त भूमि पर काबिज रहा क्योंकि प्रत्यर्थी जयनारायण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, उसमें वह खातेदार भी नहीं थे चूंकि झूठे तथ्य प्रकट करके प्रार्थी/प्रत्यर्थी ने स्वयं को खातेदारी भूमि आवंटित करवा ली जबकि जयनारायण का गांव अन्य स्थान पर एवं वह भूमिहीन व्यक्ति भी नहीं। इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही गैर कानूनी है जिसकी पृथक से कार्यवाही की जा चुकी है। जो भूमि सीमाज्ञान के लिए बतायी जा रही है उक्त भूमि पूर्व में ही रिको द्वारा एक्वायर की गयी थी जिस पर अप्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है एवं अप्रार्थी के द्वारा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 763 पुराना खाता 417/1 उक्त भूमि पर प्रार्थी पिछले 20–25 वर्षों से काश्त करते आ रहे थे जिस पर रेत के बहुत बडे टीले थे जिन्हें समतल करवाया था। अपीलार्थी ने उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया जिस पर प्रत्यर्थी की नियत खराब हो गयी जिस पर कब्जा करना चाहता है। सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र कोविड–19 के समय प्रस्तुत किया गया था जिसमें तामील भी पर्याप्त नहीं हुई थी जिसका फायदा उठाकर उक्त प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में निस्तारित करवा लिया था जबकि बहुत सारे पक्षकार तो उस समय लॉकडाउन के कारण शहर से बाहर होने के कारण मौके पर थे ही नहीं। आज दिन तक प्रत्यर्थी जयनारायण का ना तो कब्जा है और ना ही काश्त है। सन् 1999 के द्वारा ही इस खसरे में हुए सभी अलॉटमेंट को निरस्त कर दिया गया था एवं उक्त आदेश में स्पष्ट था कि अब किसी भूमि का अलॉटमेंट बिना सरकार की अनुमति के नहीं होगा। खसरा नम्बर 763 पुराना खसरा नम्बर 417 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 417/1 है जिसकी कोई चैन नहीं मिल रही है। आवंटन के समय आवेदनकर्ता ने स्वयं को भूमिहीन बताया है जबकि खातेदार के पैतृक जमीन सिरोही में चली आ रही है एवं स्वयं खातेदार के नाम से दर्ज है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार स्वयं ग्राम सिरोही का निवासी है एव गणेश्वर में अलॉटमेंट करवाया है इसलिए भी उक्त अलॉटमेंट के आधार पर सीमाज्ञान करवाने का अधिकारी नहीं है एवं सभी के हितों पर प्रभाव पडेगा इसलिए आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील देरी से प्रस्तुत की जा रही है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है कि उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2022 के विरुद्ध है। चूँकि उक्त आदेश एक पक्षीय आदेश है। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नही थी क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र कोविड–19 के समय प्रस्तुत किया गया जिस समय पर तामील पूर्ण नही हो पाई। उक्त आदेश दिनांक 29.07.2022 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 21.03.2025 से हुई जब राजस्व कर्मचारी मौके पर आये व अपीलार्थी की भूमि पर नाप जोख करने लगे तब अपीलार्थी को दिनांक 29.07.2022 की जानकारी हुई तब अपीलार्थी ने प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अतिशीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी चूंकि उक्त देरीना जानकारी के अभाव में हुई। अपीलार्थी का प्रकरण स्थावर सम्पत्ति का मामला है जिसमें जो देरीना हुई वह कारणवश है ना कि जानबूझकर जो कि क्षम्य है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप है। प्रार्थी/अपीलार्थी एक कृषक व अनपढ व्यक्ति है जो कानून की पेचिदागियों के बारे में नहीं जानता इसलिए भी अपील में देरी हुई जो क्षमा योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर प्रकरण संख्या 230/2021 से रिकॉर्ड तलब करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 29.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर में अपीलांट द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना प्रकरण संख्या 230/2021 उनवान जयनारायण बनाम सुरेन्द्र व अन्य किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 128 Land Revenue act. में दर्ज किया गया और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के आदेश दिनांक 29.07.2022 के विरुद्ध अपील पेश की गई थी। जिसमें प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जयनारायण बनाया गया है । प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या एक जयनारायण पुत्र किशोरी लाल जाति जाट निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की राजस्व गांव गणेश्वर में खातेदारी भूमि खसरा नंबर 763 रकबा 2 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 है। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में खातेदार जयनारायण द्वारा अपनी कब्जे काश्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी करने प्रार्थना पत्र धारा 128 लैंड रेवेन्यू एक्ट में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उनवान जयनारायण बनाम सुरेन्द्र व अन्य पेश किया गया जिसमें तामील नोटिस तलब किया पड़ोसी सीमा खसरा नंबर 762 के खातेदार तामिल नोटिस अप्रार्थी संख्या 6 से 10 की ओर से वकील वकालतनामा उपस्थित दिनांक 06.09.2021 रहा है और दिनांक 29.6.2022 को जवाब किशन, डूनगाराम, बहादुर, मंगलचंद, राधेश्याम पुत्रगण झूथारांम जाति माली निवासी गांवड़ी तहसील नीमकाथाना के हस्ताक्षर द्वारा पेश किया गया। जो उक्त अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर में भी रेस्पोडेंट क्रम संख्या 6 लगायत 10 है। अपीलांट भगवान सहाय पुत्र सुरजा राम जाति माली निवासी गणेश्वर भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में तामील नोटिस प्राप्त किया जिसके नोटिस प्राप्ति पर दिनांक 10.05.2022 को हस्ताक्षर किया गया है। तथा अन्य रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 03 सुरेन्द्र, महेन्द्र पुत्रगण लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण और मनोज पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राम्हण तामील नोटिस मकान चस्पा किया जिस पर पड़ोसी दुकानदार

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

और अपीलांट पुत्र बनवारी लाल पुत्र भगवान सहाय के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट भगवान सहाय का सगा भाई रेस्पोडेन्ट संख्या 5 कृपाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली की तामील नोटिस दिनांक 10.05.2022 को नोटिस प्राप्ति पर हस्ताक्षर अंगूठा कृपाराम द्वारा किया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमकाथाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायिक निर्णय पारित किया गया। अपीलान्ट अपील लिमिटेशन बाद तीन साल पश्चात माननीय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश की गई है। अपील में मिथ्या मनगड़त भिन्न तथ्यों पर पेश की गई है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 04 सुरेन्द्र, महेन्द्र, मनोज पुत्रगण लक्ष्मीनारायण तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 कृपाराम पुत्र सुरजाराम जो सगा भाई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 किशन, डूनगाराम, बहादुर मंगलचंद, राधेश्याम पुत्रगण झूथाराम जाति माली सभी पड़ोसी खसरा खातेदारों द्वारा मिलीभगत कर अपील पेश की गयी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 जयनारायण खसरा नंबर 763 के खातेदार से ईर्ष्या और दुश्मनी रखते हैं जो नाजायज परेशान कर खातेदारी भूमि की सीमाओं की भूमि को दबाना चाहते हैं। रेस्पोडेन्ट जयनारायण ने अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य, मकान और तार पिलर लगा रखे हैं आज भी कब्जा काश्त मौके पर कर रहा है। इसलिए अपील खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी रेस्पोडेन्ट जयनारायण आर्मी से सेवानिवृत, वरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि जिसका रिकॉर्डेड खसरा नंबर 763 भूमि पर कब्जा काश्त कार्य कर रहा है और मौके काश्त कार्य, भूमि की कटाई, बिजाई ट्रैक्टर जुताई और तार पिलर लगा कर तार पिलर बाउंड्री तथा मकान मौके पर बने हुए हैं और दस्तावेजात की फोटो प्रति भी पत्रावली रिकॉर्ड में अवलोकनार्थ संलग्न है। आज भी मौके पर प्रार्थी कब्जा काश्त है, जिससे प्रमाणित हो रहा है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.04.2021 की पालना में खसरा नंबर 763 राजस्व गांव गणेश्वर में मौके पर सीमाज्ञान के लिए हल्का पटवारी गिरदावर टीम फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 को तैयार जिस पर अपीलान्ट बनवारी लाल सैनी पुत्र भगवान सहाय के हस्ताक्षर हैं जो फर्द मौका रिपोर्ट पर पढ़कर सहमति से हस्ताक्षर किया है। श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमकाथाना की फर्द पत्थरगढ़ी रिपोर्ट दिनांक 06.05.2023 जो खसरा नंबर 763 कि की गई जो पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.06.2021 के अनुसार दिए गए नाप का मौका मिलान कर पत्थर गढ़ी की गई जिस पर अपीलान्ट के भाई कृपाराम पुत्र सुरजाराम रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पुत्र सुरेश पुत्र कृपाराम, बहादुर पुत्र कृपाराम के मौके पर सहमति से हस्ताक्षर किए गए हैं जो पत्रावली रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित होता है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा विधि संवत् आदेश दिनांक 29.7.2022 जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं जिसमें सुनवाई के अवसर देने के बाद विधिक प्रक्रिया के बाद आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में प्रस्तुत अपने जवाब में अलग तथ्य का अंकन किया है तथा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर की अपील में अलग तथ्य जवाब बहस और मिथ्या मनगड़त झूठे अलग अलग शपथ पत्र पेश किये गये है जो असत्य है जो गुमराह करने तथा अपीलान्ट और उक्त रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर न्यायालय में शपथ पत्र और जवाब पेश किया है। जबकि माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया और सुनवाई का अवसर देकर निर्णय आदेश दिनांक 29.07.2022 को विधि संवत् पारित किया गया है इसलिए अपीलार्थी की उक्त अपील को खारिज फरमाई जावे। उक्त अपील में भगवान सहाय और पड़ोसी खातेदारों द्वारा मिलीभगत करके प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1, जयनारायण को परेशान करने के लिए तथा पड़ोसी सीमा खातेदारों को गुमराह करके अपील माननीय न्यायालय में मियाद बाद पेश है। उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर विधि विरुद्ध अपील पेश की गई।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

श्रीमान तहसीलदार महोदय नीमकाथाना के आदेश बाद टीम गठित कर हल्का पटवारी गणेश्वर, भू अभिलेख सर्किल द्वारा मौका देखकर सभी लोगों के सामने फर्द

मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी जो नक्शा मौका रिपोर्ट के बाद फर्द रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किए गए हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जयनारायण अपनी खातेदारी भूमि में मकान बनाकर आवास कर रहे हैं और कृषि कार्य फसल बुवाई, बिजाई और कटाई करते हैं तथा तार पिलर बाउंड्री अपनी खातेदारी भूमि पर कर रखी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश की पालना के तहसीलदार महोदय नीमकाथाना और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मशीन से भूमि मापन के लिखा गया है जिसकी नियमानुसार भू राजस्व प्रबंधक सीकर में शुल्क भी जमा कराया गया है। जिसके दस्तावेजात फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी रिपोर्ट पेश रिकॉर्ड पत्रावली है। सभी विधिक प्रक्रिया और प्रावधानों नियमों पालना के अनुसार सुनवाई के अवसर देते हुए आदेश दिनांक 29.07.2022 को विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया इसलिए उक्त अपील खारिज फरमाई जावे। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जयनारायण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 763 रकबा 2 हैक्टर किस्म बारानी 3 जो राजस्व गांव गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है जिस पर बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गणेश्वर से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण दिनांक 25.01.2021 को लिया गया है जिसके बाद जमाबंदी रिकॉर्ड में बैंक का नाम दर्ज तहसीलदार द्वारा किया गया और उक्त लोन के दस्तावेजात भी पत्रावली में अवलोकनार्थ संलग्न है। बैंक द्वारा खातेदार और भूमि मालिकाना हक और मौका रिपोर्ट देकर सभी दस्तावेजात कार्यवाही बाद ही किसान क्रैडिट कार्ड ऋण स्वीकृत करता है। प्रार्थी को भूमि आवंटन के बाद नामांतकरण और खातेदारी भूमि दर्ज की गई। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश बाद ही भूमि को मापन के आदेश दिए गए और फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई है। भूमि की खसरा गिरदावरी रिपोर्ट और जमाबंदी रिकॉर्ड खातेदार के दर्ज किया है इसलिए प्रार्थी खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि को समतल करवाई और तारबंदी, पिलर और मकान बनाए है। अपीलार्थी द्वारा परेशान और आर्थिक, मानसिक नुकसान पहुंचाने की नियत से किया गया है। उक्त अपील मियाद बाद पेश की गई है तथा मनगढंत मिथ्या तथ्यों पर पेश किया गया है। माननीय न्यायालय में अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 द्वारा मिलीभगत करके प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जयनारायण को परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों पर अपील पेश किया और झूठा शपथ पत्र, जवाब पेश किया गया। इसलिए उक्त अपील बिना आधार मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाई जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौराने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जयनारायण पुत्र किशोरीलाल जाट निवासी सिरोही, तहसील नीम का थाना द्वारा पुराना खसरा संख्या 417/1 नया 763 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित ग्राम गणेश्वर तहसील नीम का थाना पर अपना कब्जा बताना, काश्त करना, सीमा पर विवाद होना अस्वीकार है। सीमा डोले पर विवाद होना मिथ्या व झूठा है। जिसके प्रमाण में पडौसी काश्तकारों के माननीय न्यायालय के समक्ष 5 शपथ पत्र प्रस्तुत है। वास्तविकता यह है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का ना तो उक्त भूमि पर कब्जा है ना कभी उक्त भूमि पर उसके द्वारा काश्त की गई, ना ही कभी सीमाओं पर विवाद हुआ और ना ही उक्त भूमि का उसके पास मालिकाना अधिकार है। यह कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उक्त भूमि बाबत गलत व अवैध तरीके से फर्जी व कूटरचित कागजात तैयार करवा कर उक्त भूमि पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश करवाने की कार्यवाही की है जिसका कि उसको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि का ना तो मालिक है ना ही उक्त भूमि पर काबिज है और ना ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त भूमि के संदर्भ में कोई आवंटन आदेश है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने कार्यालय एस.डी.ओ नीम का थाना के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु कई बार आवेदन किया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 का कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं किया। उपखण्ड

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी नीम का थाना ने आवंटन रिकार्ड जांच कर नकल आवेदनों में स्पष्ट लिखा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई आवंटन नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम कोई आवंटन आदेश नहीं है। आवंटन आदेश नहीं होने से नकल प्राप्त नहीं हुई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा फर्जी तरीके से जालसाजी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आर.टी.आई के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना, सीकर को अपील प्रस्तुत कर आवंटन आदेश की नकल चाही थी। जिस पर खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 के संदर्भ में आवंटन की प्रतिलिपि चाही तो कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2025/178 दिनांक 31.07.2025 द्वारा यह सूचित किया गया कि ग्राम गणेश्वर में खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 में जयनारायण पुत्र किशोरी लाल जाट के नाम से कोई आवंटन का इंद्राज नहीं है। इससे यह स्पष्ट रुप से साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उक्त भूमि का तो कोई आवंटन आदेश ही नहीं है। अतः वह उक्त भूमि का मालिक, अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गलत तरीके से खातेदारी दर्ज करवा रखी है। जिसका कि उसको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है। ग्राम गणेश्वर तहसील नीम का थाना में स्थित खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 स्थित की भूमि पर स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण शर्मा के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 पिछले 47–48 वर्षों से पैत्रिक काबिज, काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि पर टीले, एवं उबड खाबड भूमि को समतल कराकर कृषि योग्य बनाने में काफी धन एवं श्रम खर्च किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 की भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा है ना ही वह काश्त करने आया और उससे कोई भी विवाद नहीं हुआ, वह आया ही नहीं तथा उक्त भूमि का वह मालिक नहीं है, ना ही उसके नाम से उक्त भूमि के संदर्भ में कोई आवंटन आदेश है और ना ही उसका नाम आवंटन रिकार्ड में उक्त भूमि के संदर्भ में अंकित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नाजायज तरीके से उक्त खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 की भूमि को हडप कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहता है इसलिए रेस्पोडेन्ट नें जालसाजी करते हुए फर्जी तरीके से कूटरचित आवंटन पत्र तैयार करवा कर उक्त खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 की भूमि के संदर्भ में एकपक्षीय सीमाज्ञान कराने हेतु दिनांक 29.07.2022 को गलत तौर पर आदेश कराकर पत्थरगढी कराना चाहता है और उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 10 पर मिथ्या आरोप भी लगाए थे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने पुत्र इन्द्राज के द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल (राजस्थान सम्पर्क पोर्टल) पर शिकायत परिवाद क्रमांक 102407820995531 दर्ज करवा कर तहसील कार्यालय नीम का थाना द्वारा खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 पर सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं करने बाबत दर्ज करवाई थी। जबकि ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि का काबिज मालिक अधिकारी है और ना ही उक्त भूमि पर उसने कभी काश्त की है। तहसील कार्यालय नीमकाथाना द्वारा उक्त राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 11.11.2024 व दिनांक 18.11.2024 को जवाब भेजा गया कि जयनारायण उक्त भूमि पर सीमाज्ञान के बहाने कब्जा करना चाहता है। इससे स्पष्ट रुप से साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ना तो कभी उक्त खसरा नम्बर पुराना 417/1 नया 763 की भूमि पर काबिज रहा है ना ही वह उक्त भूमि का मालिक अधिकारी है ना ही उसने कभी उक्त भूमि पर काश्त की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी व कूटरचित आवंटन पत्र तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के मालिकाना अधिकारी की भूमि को हडप करना चाहता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिए बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित करा लिया। जो कि निरस्त करने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे और उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के आदेश दिनांक 29.07.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

8. रेस्पोंडेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

9. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 21.03.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व ग्राम गणेश्वर, पटवार हल्का गणेश्वर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 763 रकबा 2.00 है0 की पत्थरगढी करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2022 को लेकर विवाद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट उनवानी जयनारायण बनाम सुरेन्द्र प्रस्तुत किया था, जिसमें हाल अपीलान्ट व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 11 पक्षकार संयोजित है। जिनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अनुसार नोटिस जारी कर सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् पूर्ण अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की आदेशिका दिनांक 23.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल अपीलान्ट को नोटिस तामील हो चुका था। तामील कुलीन्दा की रिपोर्टानुसार भी दिनांक 10.05.2022 को स्वयं अपीलान्ट द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाना बताया गया है। हाल अपीलान्ट बाद तामील अनुपस्थित रहने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2022 को हाल अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाल अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी थी। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उक्त अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है ना ही उसे कोई नोटिस दिया गया है जिसके कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जयनारायण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 763 रकबा 2.00 हैक्टर की प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अन्य पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 पत्थरगढ़ी किये जाने एवं दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

बेदखली की कार्यवाही नहीं किये जाने साथ ही यदि कोई कदीम से प्रचलित रास्ता हो तो उसे तारबन्दी आदि कर बन्द नहीं किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2022 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है :–</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर